

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अक्टूबर 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9001	886	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1892	3	--	-
3	असम	4205	59	--	-
4	बिहार	6055	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	5082	--	1	4550
6	गोवा	665	336	--	-
7	गुजरात	5293	519	--	-
8	हरियाणा	838	1311	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	488	--	--	-
11	झारखंड	6273	--	--	23000
12	कर्नाटक	2327	--	--	-
13	केरल	--	996	--	-
14	मध्य प्रदेश	48121	685	--	24000
15	महाराष्ट्र	168	109	--	-
16	मणिपुर	785	45	9	-
17	मेघालय	381	49	--	-
18	मिज़ोरम	1789	36	--	-
19	नगालैंड	12154	1581	92	23863
20	उड़ीसा	333	--	--	975
21	पुदुचेरी	1700	--	8	-
22	पंजाब	--	--	129	4200
23	राजस्थान	7203	--	40	14023
24	तमिलनाडु	6147	1344	--	-
25	तेलंगाना	403	10	--	900
26	त्रिपुरा	1006	--	180	-
27	उत्तराखंड	3541	138	--	-
28	उत्तरप्रदेश	9654	632	214	-
29	पश्चिम बंगाल	--	--	--	-
	कुल	135505	8739	672	95511

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं